न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– हिम्मत सिंह

वाद सं. 169/2015

उनवान

1 पूरणमल पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
2 गोपाल पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
3 मोहन पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
4 मोहरी देवी पत्नी स्व0 श्री भगवान सहाय
5 लादी देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
6 प्रेम देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
7 फूली देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा) तहसील चौमू, जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. मोहनी देवी पुत्री रामेश्वर
2. तिलसा देवी पुत्री रामेश्वर
3. ग्यारसी देवी पुत्री रामेश्वर
4. लालचन्द पुत्र रामेश्वर
5. माया देवी पुत्री रामेश्वर
6. गुलाब देवी पत्नी रामेश्वर
7. हनुमान पुत्र स्व0 लादूराम
8. मालीराम पुत्र स्व0 लादूराम
9. बदरी पुत्र स्व0 लादूरा
10. गोदा पुत्र गंगाबक्ष
11. प्रभात पुत्र मुरली चौथमल पुत्र मुरली
12. चौथमल पुत्र मुरली
13. शंकर पुत्र मुरली
14. मुक्तिलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल
15. सागरमल पुत्र स्व0 नाथूलाल
16. रामस्वरूप पुत्र स्व0 नाथूलाल
17. बाबूलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल
18. छीतरी देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
19. कमला देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
20. मंजू देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
21. सीताराम पुत्र नारायण
22. सुणीलाल पुत्र नारायण
23. सुरेश पुत्र नारायण
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमू जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

वाद बाबत घोषणा इन्द्राजात् दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः– 11.12.2019

व.फ.उपस्थित। वादीगण ने वाद इस आशय का पेश किया है कि वादीगण ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमू, जिला जयपुर के रहने वाले है। वीगण स्व0 श्री

Scanned by CamScanner

भगवानसहाय के विधिक वारिसान है। स्व0 श्री भगवान सहाय का स्वर्गवास दिनांक 19.11.2010 को हो चुका है जिनका सजरा खानदान निम्न प्रकार है:–

भगवान सहाय पुत्र श्री देबू उर्फ देवीसहाय शर्मा

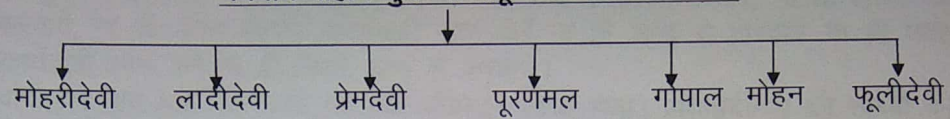

वाके ग्राम अनन्तपुरा, पटवार हल्का अनन्तपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मोरीजा, तहसील चौमू, जिला जयपुर में वादीगण की पुश्तैनी कब्जे काश्त की खाता संख्या 775 के खसरा नम्बर 661 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 662 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 663 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 0.09 है0, ख0नं0 66/2829 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 667/2830 रकबा 0.09 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 0.93 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि ही वाद पत्र में विवादग्रस्त है। उक्त वर्णित भूमि गत खसरा नम्बरान 737 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा थे जिससे सारणी में वर्णित हाल खसरा नम्बार बने है। उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 737 की जमाबन्दी संवत 2009 लगा0 2023 व जमाबन्दी संवत 2037 से 2040 में वादीगण के पिता भगवान पुत्र देबू का हिस्सा 1/4 भाग, मुरली पुत्र मोरू का हिस्सा 1/4 भाग, नाथू पुत्र सेडू का हिस्सा 1/8 भाग व किशना पुत्र गणेश का हिस्सा 1/8 भाग निहित था। उक्त खातेदारों में से वादी के पिता भगवान पुत्र देबू का व खातेदार मुरली पुत्र मोरू, नाथू पुत्र सेडू, किशना पुत्र गणेश व गबंगाबक्स पुत्र प्रताप सभी का स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकिन हो चुका है परन्तु भूप्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा वादीगण के पिता का नाम नई जमाबन्दी बनाये जाते समय सहवन से हटा दिया गया। वादीगण के पिता अपने जीवनकाल में उक्त भूमि पर काब्जि काश्त रहे है तथा उपयोग उपभोग कर समस्त लाभ प्राप्त करते चले आ रहे थे तथा वादीगण के पिता के स्वर्गवास के उपरान्त विवादग्रस्त आराजीयात् में निहित वादीगण के पिता के हिस्सा 1/4 भाग पर वादीगण काबिज काश्त रहकर उपयोग उपभोग कर समस्त लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है। वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि पर उपयोग उपभोग कर फसल उत्पादित कर समस्त लाभ प्राप्त कर अपने परिवारजन का पालना पोषण करते चले आ रहे है। सेटलमेन्ट कर्मचारियों की गलती से भू प्रबंध के दौरान वादीगण के पिता के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 भाग को सेटलमेन्ट के उपरान्त बनाई गई जमाबन्दी में हटा दिया गया बल्कि उक्त जमाबन्दी में निहित मुरली पुत्र मोरू का हिस्सा 1/4 भाग के स्थान पर उनके वारिसान में से प्रभात, चौथमल, शंकर का हिस्सा 3/16 भाग एवं रामेश्वर के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हिस्सा 1/8 भाग अंकित कर दिया गया जबकि मुरली पुत्र मोरू का कुल हिस्सा 1/4 भाग ही दर्ज होना चाये था तथा शेष हिस्सेदारों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सैटलमेन्ट से पूर्व की स्थिति अनुसार दर्ज कर दिया गया। वादीगण के पिता का हिस्सा 1/4 भाग को हटाये जाने का कोई युक्तियुक्त आधार कभी नहीं रहा है बल्कि बिना किसी आधार के वादीगण के पिता का हिस्सा 1/4 भाग को राजस्व रिकॉर्ड से हटाया गया है।

वादीगण द्वारा ग्राम अनन्तपुरा मे राजस्व लोक अदालत अभियान दिनांक 19.06.2015 में अपने पिता के नाम व हिस्से को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाने बाबत् निवेदन किया गया तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं के नाम अंकित अधिक हिस्से को दुरूस्त करवाने से इन्कार कर दिया। जिस कारण वादीगण को उक्त वाद पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का डिग्री फरमाया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण के पिता के निहित हिस्सा 1/4 भाग की घोषणा की जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के गलत दर्ज हिस्से को दुरूस्त किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण को हिस्सा 1/4 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्ध फरमाया जावें की प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 विवादग्रस्त आराजीयात् में वादीगण के निहित हिस्सा 1/4 भाग

Scanned by CamScanner

से जबरन् लट्ठ के जोर पर बेदखल नही करें ना ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत व मदादखलत पैदा करें ना ही प्रतिवादी सं0 1 ता 6 स्वयं के नाम दर्ज अधिक हिस्से की भूमि विवादग्रस्त में अपने हिस्से का बेचान, रहन, हस्तान्तरण करें, ना ही किसी को कब्जा करवायें, ना ही उक्त समस्त कार्यवाही स्वयं करें ना ही अन्य से करवाये ना ही उक्त समस्त कार्यवाही स्वयं करें ना ही किसी अन्य से करवाये।

वादी का वाद पत्र पेश करने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 24 बावदुज तलबी अनुपस्थित है। अतः इनके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस पक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे वादी का वाद स्वीकार किया जाता है।

अतः वादी का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के गलत दर्ज हिस्से को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के पिता के नाम निहित हिस्सा 1/4 भाग को खातेदार काश्तकार किये जाने की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा तहसीलदार चौमूं को पालना हेतु लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर न्यायालय पर सुनाया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

हिम्मत सिंह
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी चौमू व
अजलास हिम्मत सिंह आरएएस

1 पूरणमल पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
2 गोपाल पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
3 मोहन पुत्र स्व0 श्री भगवान सहाय
4 मोहरी देवी पत्नी स्व0 श्री भगवान सहाय
5 लादी देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
6 प्रेम देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
7 फूली देवी पुत्री स्व0 श्री भगवान सहाय
समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा) तहसील चौमू, जिला जयपुर

वादीगण

बनाम

1. मोहनी देवी पुत्री रामेश्वर
2. तिलसा देवी पुत्री रामेश्वर
3. ग्यारसी देवी पुत्री रामेश्वर
4. लालचन्द पुत्र रामेश्वर
5. माया देवी पुत्री रामेश्वर
6. गुलाब देवी पत्नी रामेश्वर
7. हनुमान पुत्र स्व0 लादूराम
8. मालीराम पुत्र स्व0 लादूराम
9. बदरी पुत्र स्व0 लादूरा
10. गोदा पुत्र गंगाबक्ष
11. प्रभात पुत्र मुरली चौथमल पुत्र मुरली
12. चौथमल पुत्र मुरली
13. शंकर पुत्र मुरली
14. मुक्तिलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल
15. सागरमल पुत्र स्व0 नाथूलाल
16. रामस्वरूप पुत्र स्व0 नाथूलाल
17. बाबूलाल पुत्र स्व0 नाथूलाल
18. छीतरी देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
19. कमला देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
20. मंजू देवी पुत्री स्व0 नाथूलाल
21. सीताराम पुत्र नारायण
22. सुणीलाल पुत्र नारायण
23. सुरेश पुत्र नारायण
    समस्त जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम अनन्तपुरा (जैतपुरा), तहसील चौमू जिला जयपुर।
24. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार, तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा तथा स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 71/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू उभयपक्षकार हाजरी मिनजामिन मुददई रूबरू हिम्मत सिंह आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के गलत दर्ज हिस्से को दुरूस्त किया जाकर वादीगण के पिता के नाम निहित हिस्सा 1/4 भाग को खातेदार काश्तकार

Scanned by CamScanner

किये जाने की घोषणा की जाती है। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे तथा तहसीलदार चौमूं को पालना हेतु लिखा जावें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 11.12.2019 को जारी किया गया ।

मोहर

दस्तखत .....

ओहदा.....

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा	1		स्टाम्प वकालत नामा	1	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	1	

नोटः– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2020.01.05 11:49:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: